CICOM/A/E/21/00060 दीपक कुमार

1. अपीलकर्ता द्वारा ऑनलाइन आर.टी.आई. आवेदन सं. CICOM/R/E/21/00249 के बिंदु सं. 4 एवं 5 प्रतिउत्तर में केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (DR to IC (VN) द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध प्रथम अपील दाखिल की गई है ।

2. आर.टी.आई. आवेदन सं. CICOM/R/E/21/00249 के बिंदु सं. 4 एवं 5 के माध्यम से निम्नलिखित सूचना मांगी गई थी:-

1. सूचना आयुक्त के समक्ष लंबित अपील/शिकायत की सुनवाई (शीघ्र) कराने का क्या प्रावधान/प्रक्रिया है, सूचना दें ।
2. अपीलवाद (लंबित) CIC/CICOM/A/2019/142997 व शिकायतवाद CIC/CICOM/C/2021/607297 की क्या स्थिति है, सूचना दें ।

3. संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (DR to IC (VN) द्वारा निम्नलिखित सूचना प्रदान की गई है:-

> बिंदु सं. 4 शीघ्र सुनवाई के लिए प्राप्त आवेदन माननीय सूचना आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं । सूचना आयुक्त के निर्णय के अनुसार मामले की शीघ्र सुनवाई की जाती है । इस संबंध में सूचित किया जाता है कि 65 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को शीघ्र सुनवाईके लिए वरीयता दी जाती है ।
>
> बिंदु सं. 5 आपके द्वारा वर्णित फाइल सं. CIC/CICOM/A/2019/142997 (सही संख्या CIC/CICOM/A/2019/142667 तथा संख्या CIC/CICOM/A/2019/607297 आयोग में सूचीबद्ध है तथा इनकी सुनवाई नियत समय पर होगी । इस समय IC(VN) की रजिस्ट्री में May 2019 में सूचीबद मामलों की सुनवाई हो रही है ।

4. अपीलकर्ता ने ऑनलाइन प्रथम अपील में उल्लेख किया है कि 'बिंदु सं. 4 के उत्तर से मैं असंतुष्ट हूँ तथा बिंदु सं. 5 की सूचना अप्राप्त है' ।

5. आर.टी.आई. आवेदन, प्रदान की गई सूचना एवं प्रथम अपील का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता आर.टी.आई. आवेदन सं. CICOM/R/E/21/00249 के बिंदु सं. 4 एवं 5 के प्रतिउत्तर में केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (DR to IC (VN) द्वारा प्रदान की गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार ही है, यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 (च) के प्रावधानों के अनुसार एक जन सूचना अधिकारी केवल संबंधित लोक प्राधिकरण के रिकार्ड में एक सामग्री के रूप में उपलब्ध सूचना ही प्रदान कर सकता है, सूचनाएं एकत्र करना या निर्मित करना जन सूचना अधिकारी के दायित्व से परे है ।

इसलिए इस मामले में प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है ।